



पशु एवं मत्स्य संसाधन (मत्स्य) विभाग

अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रगतिशील कृषक/मछली उत्पादन से जुड़े बंधु ध्यान दें।

राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति/जनजाति के मत्स्य पालकों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत निम्नवर्णित योजनाएँ स्वीकृत की हैं। योजनाओं का कार्यान्वयन निजी अथवा निबंधित पट्टे की जमीन पर किया जायेगा। सभी कम्पोनेन्ट में स्वलागत अथवा बैंक ऋण तथा 90 प्रतिशत अनुदान अनुमान्य है। इसके निम्नलिखित अवयव हैं -

-अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए मत्स्य पालन हेतु विशेष घटक योजना-

1. नर्सरी तालाब का निर्माण:-

- अधिकतम 50 डिसमल तथा न्यूनतम 8 डिसमल जलक्षेत्र में नर्सरी तालाब का निर्माण।
- इकाई लागत ₹1.51 लाख प्रति 50 डिसमल जलक्षेत्र।
- 90 प्रतिशत अनुदान अनुमान्य।
- अग्रिम अनुदान की सुविधा।
- लक्ष्य-292 एकड़।

2. ट्यूबवेल एवं पम्पसेट अधिष्ठापन :-

- ट्यूबवेल की इकाई लागत ₹50,000.00
- पम्पसेट की इकाई लागत ₹25,000.00
- 90 प्रतिशत अनुदान अनुमान्य।
- ट्यूबवेल एवं पम्पसेट अधिष्ठापन हेतु न्यूनतम 40 डिसमल जलक्षेत्र का तालाब आवश्यक।
- लक्ष्य-584 अद्द।

उपर्युक्त अवयवों का लाभ उठाकर आप अपना आर्थिक विकास कर सकते हैं।

इच्छुक मत्स्य कृषक अपना आवेदन संबंधित जिला मत्स्य कार्यालय में जमा कर सकते हैं। किसी प्रकार की कंठिनाई अथवा जानकारी हेतु अपने जिला के जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं। उपर्युक्त वर्णित योजनाएँ राज्यादेश संख्या 2732 दिनांक 22.08.2017 द्वारा निर्गत है जिसे विभागीय वेबसाइट www.ahd.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

निदेशक मत्स्य
बिहार, पटना